

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र, मिर्जापुर, झांसी, महोबा एवं ललितपुर।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2018

विषय:- जनपद सोनभद्र की 03 तहसील- घोरावल, दुद्धी एवं राबर्ट्सगंज, जनपद मिर्जापुर की तहसील मड़िहान, जनपद झांसी की 02 तहसील- गरौठा एवं मऊरानीपुर, जनपद महोबा की तहसील महोबा, जनपद ललितपुर की तहसील तालबेहट के 12 गांव, जनपद झांसी की तहसील झांसी के 27 गांव एवं तहसील टहरौली के 48 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के सूखा मैनुअल, 2016 में दी गयी व्यवस्थानुसार शासन के आदेश संख्या-57/1-11-2018-6(जी)/2017 दिनांक 19.01.2018 द्वारा राहत आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य सूखा अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है।

2. राज्य सूखा अनुश्रवण समिति की दिनांक 27.03.2018 को आहूत बैठक में सूखा मैनुअल 2016 में दिये गये विभिन्न सूचकांकों के विश्लेषण के उपरान्त जनपद सोनभद्र की 03 तहसील- घोरावल, दुद्धी एवं राबर्ट्सगंज, जनपद मिर्जापुर की तहसील मड़िहान, जनपद झांसी की 02 तहसील- गरौठा एवं मऊरानीपुर, जनपद महोबा की तहसील महोबा, जनपद ललितपुर की तहसील तालबेहट के 12 गांव, जनपद झांसी की तहसील झांसी के 27 गांव एवं तहसील टहरौली के 48 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने संस्तुति राज्य सरकार से की गयी। राज्य सूखा अनुश्रवण समिति की संस्तुति के क्रम में शासन द्वारा स्तम्भ 2 में उल्लिखित जनपदों की स्तम्भ 3 एवं 4 में अंकित तहसीलों/ग्रामों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने का एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम सं०	जनपद का नाम	सूखाग्रस्त घोषित तहसील का नाम	सूखाग्रस्त घोषित ग्राम का नाम
1	2	3	4
1.	सोनभद्र	घोरावल दुद्धी राबर्ट्सगंज	-
2.	मिर्जापुर	मड़िहान	-
3.	झांसी	गरौठा मऊरानीपुर	तहसील झांसी के 27 गांव (जगन्नाथपुरा, किल्चवाराखुर्द, खजराहा खुर्द, खजराहा बुजुर्ग, बिजौली, डिमरौनी, डगरियारुंद, हरपुरा, जरबो, सरवां,

			अमरपुर, नोहटक्षीर, डोमागोर, किल्चवारा बुजुर्ग, मथुरापुरा, सनौरा, खैलार, पुनावली खुर्द, घुघुवां, तैदोल, ढिकौली, मुरारी, बछौनी, परासई, रूद्र बलौरा, सफा, बलौरा) एवं तहसील टहरौली के 48 गांव (सिकरी खुर्द, बकवां खुर्द, इटवां खुर्द, पहाडी खुर्द, तजपुरा, सारौल, नझांरी, बिसानपारा, खजराहा, घांघरी, लठेसरा, पुरा बुजुर्ग, बरेई, बैरीसालपुरा, परसा, हाटी, सिकन्दरा, बकाईन, निमगहना, टोडी फतेहपुर, रावतपुरा, धनाबिलगांय, बगरौनी, खलीलपुरा, कुटौरा, मवई, सेमरी अहिरान, सेमरी कछियान, रजवारा, करी, चढरो धवारी, दादपुरा, सतपुरा, विजयगढ़, दरबटियाऊ, दुरवई, सुजवां, बरौरा, लुहरगांव घाट, देवरा सारन, टहरौली किलां, बरमपुरा, अतरौली, दुगारा, बिट्टौरा, इट्टौरा, तुरका लहचुरा, विक्रमपुरा सानी)
4.	महोबा	महोबा	-
5.	ललितपुर		तहसील तालबेहट के 12 गांव (ककरेला, पारौन, भैलोनीसूबा, लडवारी, बम्हौरीखडैत, सेमराडांग, रक्सा, बसतगुवां, खिरियावेहटा, मथुराडांग, गडिया, बरौदाडांग)

3- उक्त सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों में प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को विभिन्न विभागों के सहयोग से राहत हेतु निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे:-

- (1) राहत कैम्पों का संचालन किया जाएगा, जिसमें वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित बच्चों को आवश्यकतानुसार सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाएगी।
- (2) पशुओं हेतु आवश्यकतानुसार पशु राहत कैम्प संचालित किये जायेंगे, जिसमें चारा की व्यवस्था, पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी।

4- उक्त सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों में प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को राज्य आपदा मोचक निधि से निम्नांकित राहत सहायता प्रदान की जायेगी:-

- (1) आपात स्थिति में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जाय।
- (2) लघु एवं सीमान्त कृषकों जिनकी 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल क्षतिग्रस्त हुयी है, उन्हे भारत सरकार के मानक अनुसार कृषि निवेश अनुदान का वितरण किया जाय।

(3) सूखे की स्थिति पर सतर्क दृष्टि रखते हुये इससे निपटने के लिये बनाई गई कार्ययोजना को तत्काल कार्यान्वित कराया जाए तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि कोई व्यक्ति सूखे से उत्पन्न स्थिति के कारण भुखमरी का शिकार न हो।

5- सूखे की स्थिति से निपटने के लिये की जाने वाली प्रमुख कार्यवाही:-

- (1) स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन तहसीलों में रैपिड रेस्पान्स टीम का गठन किया जाए जिसके माध्यम से पेयजल शुद्धता हेतु क्लोरीन टैबलेट का वितरण एवं पेयजल स्रोतों का विसंक्रमण सतत् रूप से किया जाएगा एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जीवन रक्षक दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- (2) प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के माध्यम से रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
- (3) पेयजल की आवश्यकतानुसार नये हैण्डपम्प की स्थापना तथा रिबोर की श्रेणी में आने वाले हैण्डपम्पों को तत्काल रिबोर कराया जाए।
- (4) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को सुचारु रूप से बनाये रखने हेतु सामान्य मरम्मत से सम्बन्धित हैण्डपम्प को तत्काल समय से ठीक करा लिया जाएगा।
- (5) लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप एवं गहरे नलकूप को स्थापित/लगाने के लक्ष्यों के पूर्ति की कार्यवाही समय से पूर्ण की जाए ताकि कृषकों को इससे तत्काल सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- (6) कृषि विभाग के माध्यम से लघु एवं सीमान्त कृषकों को बोवाई हेतु वैकल्पिक बीज की व्यवस्था हेतु नियमानुसार मिनी किट वितरित किया जाए।
- (7) राजकीय नलकूप में सामान्य खराबी को शीघ्रातिशीघ्र ठीक कराकर सिंचाई व्यवस्था सामान्य बनायी रखी जाए। इन राजकीय नलकूप से सम्बन्धित यदि कोई ट्रान्सफार्मर खराब होता है, तो इसे विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित अवधि/दिवस के अन्दर बदल दिया जाए। इस हेतु सभी विद्युत भंडार केन्द्रों पर अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर की व्यवस्था की जाए।
- (8) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी पात्र परिवारों को खाद्यान उपलब्ध कराया जाए।

6- अतः कृपया सूखा से निपटने के लिए तैयार की गयी कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पशुपालन, ग्राम्य विकास, नगर विकास, सिंचाई, राजस्व, पंचयतीराज, लघु सिंचाई, कृषि, खाद्य एवं रसद तथा जल निगम आदि विभागों से समन्वय करते हुये सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखा से उत्पन्न स्थितियों से निपटने हेतु हर सम्भव राहत कार्य किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

7- कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या 161 (1) एवं तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
3. केन्द्रीय सूखा राहत आयुक्त एवं अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, जल निगम, उत्तर प्रदेश।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्।
6. मण्डलायुक्त मिर्जापुर मण्डल, झांसी मण्डल एवं चित्रकूट धाम मण्डल उ0प्र0।
7. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त।
8. राहत आयुक्त कार्यालय, बापू भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सूखाग्रस्त घोषित जनपदों से मेमोरेण्डम तैयार कराकर संकलित मेमोरेण्डम शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।।
9. परियोजना निदेशक (सूखा), उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, गोमती नगर लखनऊ।
10. राजस्व अनुभाग-10/गार्ड फाइल।

पं.ज
06.04.18

आज्ञा से,

(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव।